निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 19/2022
दायरा दिनांकः–09.11.2022
निर्णय दिनांकः– 8.7.24

उनवान

मुन्नी बाई आयु 58 वर्ष पुत्री बिहारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोतीपुरा हाल अमीनपुरा तहसील छबडा जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 8.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चन्द्रमोहन राठौड – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम मोतीपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमिया खसरा नम्बरान 2/243 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा खसरा नम्बर 50 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 218 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 235/223 रकबा 10 बीघा कुल 6 किता आराजीयात मवाजी 26 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित है है जो केसर बेवा बिहारीलाल माधोलाल,मोहनलाल,गिरराज,सुशीला,बादाम पिता बिहारीलाल,रामसिंह,हरिओम पुत्र धन्नालाल,दुलारी,ममता बाई, गीता बाई, पुत्रिया धन्नालाल,लीला बाई बेवा धन्नालाल बहादुर सिंह, पुत्र ईश्वरलाल,गौरा बाई कल्ली बाई पुत्रिया ईमरतलाल कान्ति बाई पत्नि स्व0 ईमरतलाल के शामलाती खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही हे उक्त वर्णित भूमियों में से भूमियां खसरा नम्बर 14 एवं 50 रकबा 1782.0–3682 है0 भारत शासन अधिसूचना क्रमांक 981 दिनांक 25.02.1985 के तहत गेल के उपयोग एवं अधिकार हेतु निहित है। उक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई के स्थान पर बादाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र एवं आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई ही दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी में प्रार्थीया मुन्नी बाई के बजाय बादाम दर्ज हो जानें के कारण राज्य सरकार द्वारा कृषि से संबंधित प्रारम्भ की जा रही है लाभकारी योजनाओं से प्रार्थीया को वंचित होना पड रहा है जिसके कारण प्रार्थीया को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति हो रही है अतः प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी में दर्ज बादाम के स्थान पर मुन्नी बाई दर्ज करवाकर खाते में इन्द्राज दुरूस्त करवाने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारणी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:16:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोतीपुरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 15 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड मुन्नी बाई पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोतीपुरा में स्थित है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई के स्थान पर बादाम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों में मुन्नी बाई दर्ज है प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुन्नी बाई के बजाय बादाम दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं से प्रार्थीया को वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बादाम के स्थान पर मुन्नी बाई दर्ज करवाने की अधिकारी है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मोतीपुरा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 15 के अनुसार प्रार्थीया का नाम बादाम दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई दर्ज है प्रार्थीया के नाम की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार छबडा से मंगवाई गई तहसीलदार छबडा नक बताया कि ग्राम मोतीपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 15 में खातेदार बादाम पुत्री बिहारीलाल हिस्सा 1/8 जाति मीणा दर्ज रिकार्ड है प्रकरण के संबंध मे ग्राम मोतीपुरा मय राजस्व रिकार्ड उपस्थित हुई मजमें आम में जॉच की गई।जिसमें पाया की बादाम पुत्री बिहारीलाल जाति मीणा सा0देह है वादीया का विवाह मोहनचन्द पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अमीनपुरा के साथ सम्पन्न होना बताया। दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई मोहनचन्द दर्ज रिकार्ड है तथा मुन्नी बाई की मृत्यु दिनांक 02.03.2024 को हो गयी बादाम बाई पुत्री बिहारीलाल व मुन्नी बाई पत्नि मोहनचन्द दोनो नामों की एक माहिला है मुन्नी बाई उर्फ बादाम पुत्री बिहारीलाल दर्ज करने की अनुशंषा की है। तहसीलदार छबडा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थीया का स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुज्ञेय नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज़ किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सुने जाने सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:16:17 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)